प्रेषक – चौ० धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट सी०ओ० आफिस के बराबर मे तहसीलकम्पाऊड गढ़मुक्तेश्वर जनपद- हापुड़

प्रेषित – श्रीमान जन सूचना अधिकारी / श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रासमिशन लि० प्लाट न०1 पार्कर एन्ड गंगानगर मेरठ

विषय – जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र –

कृपया मुझे आपके पत्र दिनांक 27-9-2021 के माध्यम से पता लगा है कि आपके द्वारा लगाये जाने वाले टावरो की औसत आयु 35 वर्ष है। के परिपेक्ष मे निम्न सूचना/जानकारी/उपलब्ध दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति लिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

1. यह कि टावर लगाये जाने के लिए जो भूमि की 85% क्षति पूर्ति दी जा रही है। वह भी टावर की औसत आयु 35 वर्ष के लिए ही है। यदि नही तो अवधि बताने का कष्ट करे
2. यह कि टावर की औसत आयु पूर्ण होने के पश्चात यदि टावर/लाईन नही हटाई जाती है तो कृषको (भू: स्वामियो) को भूमि का क्षति पूर्ति मुआवजा पुनः दिया जायेगा अथवा नही
3. यह कि टावर की आयु पूर्ण होने पर भी विभाग/कम्पनी भू स्वामियो की भूमि को बिना मुआवजा दिये अपने टावर रख सकती है। अथवा नही

अतः श्रीमान जी से सानुरोध प्रार्थना है। कि उपरोक्त सूचना/जानकारी/उपलब्ध दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति समयावधि मे देने का कष्ट करे।

दिनांक - 6/10/2021

संलग्न- देय शुल्क 10 रुपये का पो० आर्डर स०54F580210 संलग्न है।

प्रार्थी
चौ० धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट
सी०ओ० आफिस के बराबर मे
तहसीलकम्पाऊड गढ़ (हापुड़)
Mob. No- 8755811110

ए. अहमद | A. Ahmad
सी.ई.ओ. | CEO

संदर्भ सं.: पावरग्रिड एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई./ 904 दिनांक: 10.11.2021

सेवा में,

श्री धर्मेंद्र सिंह एड्वोकेट,
सी. ओ. आफिस के बराबर में तहसील कम्पाउंड,
तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला – हापुड़।

विषय: दिनांक 13.10.2021 को प्राप्त आर. टी आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2021 के संदर्भ में।

महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2021 के संदर्भ में पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड से सम्बंधित बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु न. 1: यह कि टावर लगाए जाने के लिए जो भूमि की 85 % क्षतिपूर्ति दी जा रही है। वह भी टावर की औसत आयु 35 वर्ष के लिए है। यदि नहीं तो अवधि बताने का कष्ट करें।

जानकारी: टावर लगाए जाने के लिए जो भूमि की 85 % क्षतिपूर्ति दी जा रही है वह भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्माणाधीन पारेषण लाइनों के सम्बन्ध में जारी आदेश के आधार पर दी जा रही है। उक्त आदेश के अनुसार 85 % क्षतिपूर्ति निर्माण के समय एक बार दिया जाना है।

बिंदु न. 2: यह कि टावर की औसत आयु पूर्ण होने के पश्चात यदि टावर / लाइन नहीं हटाई जाती है तो कृषकों (भूस्वामियों) को भूमि का क्षतिपूर्ति मुआवजा पुनः दिया जायेगा अथवा नहीं।

जानकारी : इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई आदेश नहीं है तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में जो भी आदेश आएगा उसका पालन किया जायेगा।

न.3: यह कि टावर की आयु पूर्ण होने पर भी विभाग / कंपनी भू-स्वामियों की भूमि को बिना मुआवजा दिए अपने टावर रख सकती है। अथवा नहीं।

जानकारी: इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई आदेश नहीं है तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में जो भी आदेश आएगा उसका पालन किया जायेगा।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण
श्री ए .के .मिश्रा,कार्यकारी निदेशक) उ .क्षे (1.प्रथमअपीलीय प्रधिकारी)
पावरग्रिड कॉर्पोरेशनऑफ इंडिया लिमिटेड,उ .क्षे 1.मुख्यालय,
SCO बे .संख्या 5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद) हरियाणा(-121002, फोन न .0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय
10/11/21
[ए.अहमद]
सी०इ०ओ० एंड डेसिगनेटेड सी०पी०आई०ओ०
पी .एम.एस.टी.एल
मेरठ